भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 836

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

'एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता, ऋण पहुंच और क्षेत्रीय प्रसार को बढ़ाना'

836. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नये पंजीकरण, ऋण लिंकेज, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय प्रसार के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र की समीक्षा की है, यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या विनिर्माण, सेवाओं, निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा खाद्य प्रसंस्करण में एमएसएमई को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमियों सहित एमएसएमई के लिए ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की व्यापक निष्पादन तथा अंतर-विश्लेषण रिपोर्ट का ब्यौरा कार्यान्वित की जाने वाली नीतिगत सिफारिश सहित क्या है; और

(ङ) क्या असम में एमएसएमई क्षेत्र दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे है, इसमें सुधार करने का ब्यौरा क्या है, एमएसएमई के पीछे रहने के कारण क्या हैं तथा असम के एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ड.) : (I) वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए निवेश और टर्नओवर के युग्मित मानदंड के आधार पर एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया था। तदनुसार, पैन धारित उद्यमों के पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) अर्थात ऐसे उद्यम, जिन्हें जीएसटी फाइल करने से छूट मिली है, को औपचारिक उद्यम बनाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत से दिनांक 30.11.2025 तक, उद्यम पोर्टल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत एमएसएमई और उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए रोजगार का विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है।

(II) एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जो गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में भावी उद्यमियों की सहायता करके विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करती है।

पीएमईजीपी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) के साथ सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी तथा सीमांत क्षेत्रों एवं आकांक्षी जिलों से संबंध रखने वाले लाभार्थियों जैसे विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% है। विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 05% है तथा सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए 10% है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में यह लागत 20 लाख रुपए है। विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 05% है तथा सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए यह योगदान 10% है।

विगत 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और सृजित रोजगार का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
2020-21	74,415	5,95,320
2021-22	1,03,219	8,25,752
2022-23	85,167	6,81,336
2023-24	89,118	7,12,944
2024-25	59,708	4,77,664

(III) एमएसएमई के लिए प्रमुख नीतिगत चुनौतियां औपचारिकीकरण, क्रेडिट तक पहुंच, प्रौद्योगिकीय सहायता, अवसंरचना विकास, और व्यवसाय की सुगमता है। निर्यातोन्मुखी और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों सहित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में एमएसएमई को सुदृढ़ करने और सहायता प्रदान करने के लिए, क्रेडिट तक पहुंच के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच स्थापित करने के लिए असम राज्य सहित देश भर में विभिन्न स्कीमों को लागू किया जा रहा है, इन स्कीमों में से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम): व्यापार निधियन, निर्यात प्रमाणन, निर्यात लॉजिस्टिक्स और एकीकृत एवं संरचित तरीके से बाजारों तक पहुंच से संबंधित मामलों में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने समग्र निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए ईपीएम के तहत एक व्यापक ढांचे के रूप में निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को अनुमोदित किया है। निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापार वित्त सुविधा पर केंद्रित होती है और निर्यात दिशा, जो निर्यात-गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, बाजार-पहुंच संबंधी कार्यों, लॉजिस्टिक्स सुविधा और निर्यात इको-सिस्टम निर्माण उपायों सहित गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

(ii) निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसीई): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए परामर्श, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं।

(iii) निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई): यह स्कीम 20% की सीमा तक अतिरिक्त कोलेटरल मुक्त कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए **क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस)** के तहत एमएसई को 10 करोड़ रुपए तक की सीमा तक (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी) कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 90% तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है। सीजीएस के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के स्वामित्व वाले विशेष श्रेणी के एमएसई को गारंटी शुल्क में 10% की रियायत प्रदान की जाती है।

(v) पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन: यह स्कीम असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए बुनियादी ढाँचे और सामान्य सुविधाओं के निर्माण या उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचारों और कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। यह स्कीम नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों के आधुनिकीकरण, नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं के विकास और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है।

(vi) सार्वजनिक खरीद नीति: महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 09.11.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5670 (अ) के तहत, सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू के लिए एमएसई से अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25.0% खरीदना अनिवार्य कर दिया था, जिसमें महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3.0% खरीद और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4.0% खरीद करना शामिल है।

(vii) एमएसएमई मंत्रालय की खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम एमएसई को व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत रूप में एमएसई की सहभागिता, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता, विक्रेता विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग तकनीक को अपनाने, बार कोड को अपनाने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने आदि के लिए बाजार तक पहुंच बनाने संबंधी पहलों के लिए लाभ प्रदान करती है।

******

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 836, जिसका उत्तर दिनांक 04.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पोर्टल पर शुरुआत से लेकर दिनांक 30.11.2025 तक पंजीकृत एमएसएमई और उनके द्वारा दिए गए रोजगार का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	रोजगार
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20,694	155	3	20,852	3,33,403
2	आंध्र प्रदेश	36,30,939	16,816	958	36,48,713	1,89,66,180
3	अरुणाचल प्रदेश	44,080	369	18	44,467	2,44,558
4	असम	13,47,267	6,637	513	13,54,417	89,24,619
5	बिहार	38,56,660	11,878	575	38,69,113	1,52,85,008
6	चंडीगढ़	73,843	1,265	127	75,235	4,17,408
7	छत्तीसगढ़	12,34,808	8,304	712	12,43,824	41,34,657
8	दिल्ली	13,03,997	28,202	2,744	13,34,943	85,19,117
9	गोवा	1,21,781	1,112	77	1,22,970	4,67,351
10	गुजरात	40,01,386	53,763	4,202	40,59,351	1,59,63,567
11	हरियाणा	18,24,950	22,914	1,756	18,49,620	89,08,666
12	हिमाचल प्रदेश	3,17,958	2,554	204	3,20,716	13,79,541
13	जम्मू और कश्मीर	7,82,165	3,200	208	7,85,573	31,13,016
14	झारखंड	14,28,261	5,854	354	14,34,469	57,20,707
15	कर्नाटक	46,41,054	31,270	2,287	46,74,611	2,53,47,649
16	केरल	17,11,601	12,821	757	17,25,179	59,26,640
17	लद्दाख	19,270	113	2	19,385	56,700
18	लक्षद्वीप	2,366	-	-	2,366	7,101
19	मध्य प्रदेश	44,48,066	19,641	1,178	44,68,885	1,41,23,121
20	महाराष्ट्र	93,48,934	73,987	6,827	94,29,748	3,20,58,248
21	मणिपुर	1,65,051	421	18	1,65,490	8,06,525
22	मेघालय	65,132	406	33	65,571	3,31,915
23	मिजोरम	48,732	212	7	48,951	2,58,963
24	नागालैंड	69,488	176	16	69,680	2,98,676
25	ओडिशा	22,24,942	9,938	601	22,35,481	1,08,27,138
26	पुदुचेरी	1,02,019	659	61	1,02,739	4,09,082
27	पंजाब	19,81,345	16,797	1,226	19,99,368	89,18,607
28	राजस्थान	40,63,741	26,993	1,640	40,92,374	1,77,00,280
29	सिक्किम	32,404	165	13	32,582	1,31,003
30	तमिलनाडु	57,44,441	39,043	2,811	5,786,295	2,99,45,213
31	तेलंगाना	35,17,649	20,002	1,770	35,39,421	1,90,68,464
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	32,244	912	134	33,290	2,73,832
33	त्रिपुरा	2,89,891	689	46	2,90,626	11,87,183
34	उत्तर प्रदेश	77,60,955	39,876	2,597	78,03,428	3,35,05,600
35	उत्तराखंड	5,88,700	4,002	269	5,92,971	26,08,967
36	पश्चिम बंगाल	48,63,991	23,815	1,750	48,89,556	2,04,45,196
	कुल:-	**7,17,10,805**	**4,84,961**	**36,494**	**7,22,32,260**	**31,66,13,901**